सरकारी नौकरियां बेचने की प्रथा काफ़ी पुरानी है

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

विजिलेंस डायरेक्टर शत्रुजीत कपूर के नेतृत्व में भले ही नौकरी बेचने का घोटाला अब सामने आया है, जबकि यह धंधा तो बहुत पुराना है। अभी हाल ही में एचपीएससी के जिस डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर को रिश्वत लेते दबोचा गया है, उसकी न तो इतनी औकात है और न ही इतनी महारत है कि वह अपने दम इस पूरे खेल को अंजाम दे सके। उसकी तो अभी कुल नौकरी ही पांच-सात साल की हुई है।

जानकार बताते हैं कि सन् 2004 में, जब से एचपीएससी द्वारा परीक्षाओं को कम्प्यूटरीकृत किया गया है तब से पूरे सिस्टम में सेंधमारी का काम शुरू हो गया था जो समय के साथ-साथ विकसित होता चला गया। इस खेल में खिलाड़ी केवल डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर अकेला नहीं है, वह तो एक प्यादा मात्र है। उसके ऊपर बैठे अफ़सर व नीचे तैनात कर्मचारियों से लेकर आयोग के चेयरमैन व तमाम सदस्य भी शामिल हैं। नौकरियां बेचने के साथ-साथ राजनेताओं व बड़े अफ़सरशाहों की नालायक औलादों को भी उन उच्च पदों पर तैनातियां मिल जाती हैं जिनके वे लायक नहीं होते। दूसरी ओर वे लोग वंचित रह जाते हैं जो लायक होते हैं। इसी के परिणामस्वरूप पूरी नौकरशाही निकम्मी व भ्रष्ट होती जा रही है।

'मज़दूर मोर्चा' के 3-9 अक्टूबर के अंक में लिखा गया था कि किस तरह से प्रभावशाली लोग अपनी सुविधा एवं इच्छानुसार अपने बच्चों के लिये परीक्षा

केन्द्र का चुनाव करते हैं। इसी सुविधा का लाभ उठा कर वे लोग अपने बच्चों के पास हो जाने का जुगाड़ बना लेते हैं। बाकी लोग अपने-अपने तरीके से ऐसे ही जुगाड़ करते हैं। ऐसे-ऐसे भी उदाहरण हैंअसली अभ्यार्थी की जगह परीक्षा में कोई अन्य बैठ रहा होता है। ऐसे ही हेरा-फेरी से एचसीएस बने कुछ लोग अब आईएएस भी बन चुके हैं।

इन हथकंडों की ओर अब विजिलेंस का ध्यान गया तो हेरा-फेरी मास्टरों में भगदड़ मची हुई है। परीक्षा केन्द्र पर बायोमीट्रिक प्रणाली से लिये गये अंगूठे के निशानों का मिलान जब नियुक्ति के समय किया जाने लगा तो अनेकों अभ्यार्थी जो तहसीलदार बनने आये थे, अपराधी घोषित हो गये। इसका असर यह पड़ा कि अनेकों चयनित हो चुके तहसीलदार नियुक्त होने ही नहीं आये। जाहिर है कि अपराधी बनने से तो तहसीलदारी का ख्वाब छोड़ना ही ज्यादा बेहतर रहेगा।

ये तो चंद एक उदाहरण है जो शत्रुजीत कपूर के नेतृत्व में बिजिलेंस द्वारा छेड़े गये अभियान का परिणाम हैं। यदि इसी अभियान को और गहराई तक चलाया जाय तो बीते बीसियों बरस के घोटाले भी सामने आयेंगे। लेकिन इतनी बिसात खट्टर सरकार की नहीं है अंदेशा तो यह भी जताया जा रहा है कि मौजूदा अभियान को बीच में ही न रोक दिया जाय क्योंकि इसकी तपिश न केवल मोटी रकम देकर नौकरी खरीदने वालों तक पहुंच रही है बल्कि अनेकों उच्च अफ़सरशाह व राजनेता भी इससे परेशान हो उठे हैं। उनके दबाव के चलते कहीं कपूर को ही न चलता कर दिया जाय।

ट्रांसपोर्ट के नाम पर 'शुभगमन' का ड्रामा

फ़रीदाबाद (म.मो.) शहरवासियों को आवागमन की सुविधा के लिये सरकार द्वारा हमेशा ही बसों की व्यवस्था की जाती रही है। वर्ष 1970 में डीटीसी द्वारा बाटा चौक, केसी सिनेमा व दशहरा ग्राऊंड से दिल्ली के लिये बसें चला करती थीं। बाद में हरियाणा रोडवेज़ की बसें कुछ फेर-पलट करके इन्हीं रुटों पर चलने लगी थीं। इसी तरह बल्लबगढ से सेक्टर सात व 15 होते हुए दिल्ली के लिये चला करती थीं। इन्हीं सेवाओं को विस्तार देते हुए दिल्ली के एम्स व कुछ कॉलेजों के लिये भी बसें चलाई गईं थी। लेकिन समय के साथ ये सब लुप्त हो गई।

वर्ष 206-7 में जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन के नाम पर नौटंकी करते हुए इस शहर को करीब 200 अति आधुनिक लो फ्लोर बसें सौंपी गई थीं। इनको हरा झंडा दिखाने के लिये तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा व अनेकों अफ़सरशाह चंडीगढ से यहां पहुंचे थे। करीब दो साल तक ये बसें खड़ी रह गई क्योंकि इन बसों का संचालन नगर निगम द्वारा किया जाना चाहिये था। लेकिन जो नगर निगम सीवर, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, झाड़-बुहार तक न कर पाये वह भला बसों का संचालन कैसे कर पाता? लिहाज़ा दो साल तक खड़ी रखने के बाद वे बसें हरियाणा रोडवेज के फ़रीदाबाद डिपो को सौंप दी गई और उन्होंने भी दो-तीन साल में उनके अंजर-पंजर बिखेर दिये। यानी कि सैंकड़ों करोड़ रुपये की बसें भांग के भाड़े लग गई।

अब यही काम अनिता यादव के नेतृत्व में एफ़एमडीए दोहराने जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि शहर के विस्तार एवं नागरिकों के आवागमन की व्यवस्था के लिये सार्वजनिक परिवहन बहुत जरूरी है लेकिन इसका यह मतलब नहीं होना चाहिये कि इसके नाम पर जनता से बार-बार ठगी की जाय। एफएमडीए हो चाहे नगर निगम या फ़िर स्माट सिटी कम्पनी लिमिटेड, इनका बसें संचालन से क्या वास्ता? इनमें से किसी के पास भी परिवहन से सम्बन्धित न तो कोई अनुभव है और न ही इन्फ्रास्ट्रक्चर (मूल भूत ढांचा)। ऐसे में 'शुभगमन' नाम से शहर में ट्रांस्पोर्ट की व्यवस्था एक नाटक से अधिक कुछ भी नहीं होने वाला। इस 'शुभगमन' शब्द को गढने पर भी बीसियों हजार रुपये खर्च हो चुके हैं। यदि सीधी-साधी सिटी बस सेवा भी कर देती तो क्या दिक्कत थी? लोगों को तो जो लाभ होना है वह बसों के चलने से होगा न कि नामों से। होना अंत में यह है कि दो चार सौ करोड़ रुपये बट्टे-खाते लग जाने हैं।

मोदी ने बीजेपी की हार के डर से लिये किसान विरोधी कानून वापस: कुलदीप

करनाल । कांग्रेस नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा तीन किसान विरोधी कानून वापस लेना ही पर्याप्त नही है वल्कि शहीद किसानों के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का एलान कर एमएसपी का कानून बनाये।

उन्होंने कहा कि देश मे और राज्यों में बीजेपी सरकारों के पतन की शुरुआत हो चुकी है। इसका समापन 2023 तक हो जायेगा। प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी की शर्मनाक हार से भयभीत होकर यह कदम उठाया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किसानों पर दमन चक्र करने वाले मुख्यमंत्री सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। वह करनाल में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस अवसर पर कांग्रेस के जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह ने भी जानकारी दी।

कुलदीप शर्मा ने कहा कि अभी जश्न मनाने का समय नही है। हम उस समय बधाई देंगे जब किसान की असली जीत होगी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल को वेट मुक्त कर जीएसटी के दायरे में लाये। उन्होंने कहा कि बीजेपी समर्थित लोग महात्मा गांधी,और नेहरू को गाली दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रति लोगो मे रुझान बढ़ रहा है। बीजेपी हुड्डा नाम से ही खौफ खाती है। तभी हुडा का नाम बदल दिया एक सवाल के जबाब में उन्होंने कहा कि कपाल मोचन में स्नान से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सत्ता से मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने पहले गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर नमन किया।उसके बाद पूर्व पीएम इंदिरा जी को उनके जन्मदिन पर याद किया। इस अवसर पर कांग्रेस के जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह, एमसी परमजीत लाठर,हरी राम साभा धर्मपाल कौशिक,रणपाल सन्धु जसवंत सिंह, गगन मैहता,सुनेहरा वाल्मीकि, रमेश खानपुर आदि उपस्थित थे।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
6. सुरेन्द्र बघेल - बस अड्डा होडल - 9991742421

एक एतिहासिक आन्दोलन

ओपी शर्मा, एडवोकेट

एक वर्ष पूर्व 26 नवम्बर 2020 जब कथित काले कानूनों के खिलाफ़ किसानों ने आन्दोलन की शुरूआत की उस वक्त इसके भविष्य के प्रति तरह-तरह की सवालों का बाजार गर्म था। देश के आम नागरिकों की जेब पर डाका मारने की नीयत से बनाए गये तीनों कृषि कानूनों को सरकार ने जिस तरह से बढा-चढा कर गोदी मीडिया के जरिए पेश किया इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होनी लाजिमी थी। लेकिन किसानों के कुशल नेतृत्व ने जिस प्रकार आन्दोलन का संचालन किया वह आज के युग में बेमिसाल है।

इसकी बजाए किसानों की दुर्दशा पर निगाह डाली जाए तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि यह आन्दोलन किसानों के लिये क्यों जीवन-मरण का मुद्दा बना। आज एक किसान की औसत आमदनी 27 रुपये है। पिछले 12 वर्षों में 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। अकेले 2019 में नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरों के अनुसार 42480 किसानों व भूमिहीन मज़दूरों ने आत्महत्या की, जो सन् 2018 के आंकड़ों से 6 प्रतिशत ज्यादा है। हमारे देश की 54 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है।

अधिकतर किसान कर्ज में डूबे हुए हैं कभी-कभी सब्जियों को मंडी तक पहुंचाने का किराया सब्जियों की कुल कीमत से ज्यादा बैठता है। ऐसे में अधिकांश किसान उन सब्जियों को सड़ने के लिये छोड़ देते हैं। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत किसान को 6000 सालाना दिया जाता है। वो भी उन किसानों को जिनके पास दो एकड़ से कम जमीन है, जो 500 रुपये महीना पड़ती है। एक परिवार 4.8 यूनिट यानी

लगभग पांच सदस्यों का मान लिया जाए, प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में 400 रु. आते हैं। यानी 13.33 रुपये प्रतिदिन जब कि भूमिहीन किसान को कुछ भी नहीं दिया जाता। विकसित देशों की तुलना में यह सब्सिडी ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। असल मुद्दे पर आते हुए यह बताने की जरूरत नहीं कि तीनों कानून न केवल किसान बल्कि आम जनता के लिये घातक थे। उन्हें रद्द करवा कर किसानों ने आम जनता को कमर तोड़ महंगाई की मार से बचाया है। जिस के लिये किसानों की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। सरकार द्वारा तीनों कानूनों को रद्द करने का फैसला किसी बात-चीत के जरिए नहीं लिया।

लेकिन जिस तरह अपनी मनमानी से तुगलकी तरीके से कानून लाये थे। उसी तरह किसानों के दबाव के तहत वापिस लिए हैं। बात-चीत के लिये किसानों की पहली शर्त थी कि तीनों काले कानून वापिस लिए जाएं। कानूनों को वापिस लिए जाने की शर्त सिर्फ बात-चीत शुरू करने के लिये थी न कि आन्दोलन वापिस लेने के लिये? बात-चीत के मुद्दे सर्वविदित है जिसमें एमएसपी का मुद्दा मुख्य मुद्दा है। बड़े-बड़े सरमाएदारों को अपने उत्पादों की अधिकतम कीमत लेने की छूट है। जैसे हम किसी भी उत्पाद पर एमआरपी यानी अधिकतम रिटेल प्राइस लिखा देखते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे देश में 'प्रजातंत्र' है इसलिये प्रजा को मिनिमम यानी न्यूनतम कीमत का भी अधिकार नहीं। मज़दूरों की न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित है लेकिन किसानों को अपने उत्पादों की न्यूनतम कीमत लेने के लिये भी संघर्षरत होना पड़ रहा है।

अपने लोकतांत्रिक हकों के लिये लड़ना कानूनी अधिकार है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। फ़िर किसानों को इस कानून से वंचित कैसे रखा जा सकता है? यदि संक्षेप में कहा जाए तो ये कानून किसान को दर-दर की ठोकरें खाने के लिये मजबूर कर देते। मुक्त व्यापार यानी कहीं भी उत्पाद को बेचने की आजादी महज ढकोसला है। जिस किसान को अपनी फसल को मंडी तक लाने में पसीने छुटते हैं वो अपनी फ़सल बाहर ले जा कर बेचने की सोच भी नहीं सकता। कानून में अदालतों का प्रावधान उस से भी बड़ा मजाक है। अन्य क्षेत्रों में बने जिन कानूनों में समय सीमा निर्धारित की है, उतनी समय सीमा से अधिक में तो कभी-कभी एक तारीख मिलती है। भंडारण की छूट से किमतों के आसमान छूने से कम की बात सोची भी नहीं जा सकती। उक्त बातों के मद्देनज़र खास तौर पर जब केन्द्रीय सरकार की मंशा पर प्रश्नचिन्ह हो। किसानों को अधिक सावधानी पूर्ण आन्दोलन को आगे बढाना होगा और जिस तरह किसानों ने कुर्बानी देकर इन काले कानूनों को रद्द करा कर आम जनता को शोषण से बचाया है। उसी प्रकार आम जनता का भी किसानों को अपना भरपूर समर्थन देना वाजिब बनता है।